



भारत सरकार

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एव श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली
LADY HARDINGE MEDICAL COLLEGE & S.S.K. HOSPITAL, NEW DELHI.

[अपर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय]

[OFFICE OF ADDITIONAL MEDICAL SUPERINTENDENT]

मिसिल संख्या: अ.चि.अधी/एस.एस.के.एच/26/Circular/319

दिनांक : 10.04.2026

CIRCULAR

Subject: Charges for Loss/damage of Parking Token and RFID Tags

This is to inform all concerned users that the following charges shall be applicable in relation to parking tokens and RFID tags:

1. Loss of Parking Token:

A charge of **Rs. 200/-** will be levied for the loss of a parking token.

2. Issue of New RFID Tag:

A charge of **Rs. 50/-** will be applicable for the issuance of a new RFID tag.

3. Loss or Damage of RFID Tag:

In case of loss or damage to the RFID tag, a penalty of **Rs. 500/-** will be charged.

All users are advised to handle parking tokens and RFID tags with due care to avoid inconvenience and additional charges.

This circular is already approved by the competent authority vide File No. A/448/2024/14656 and shall come into effect immediately and must be strictly adhered to.

Banarsi
10/4/26
Dr. Banarsi

AMS (SH-1)
अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक
Addl. Medical Superintendent
ले. हा. म. का. एव श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल
LHMC & Smit. S.K. Hospital
नई दिल्ली-110001 / New Delhi-110001

Copy to: 1. Director/Principal, LHMC – for kind information

2. All Medical Superintendents (SSKH & KSCH)
3. All Additional Medical Superintendents (SSKH & KSCH)
4. All HODs (for information and wide circulation)
5. DDA
6. All Section Heads (through DDA)
7. IT/System Administrator (For RFID)
8. Website
9. DDO

P.T.O



भारत सरकार

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एव श्रीमति सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली

[अपर चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय]

मिसिल संख्या: अ.चि.अधी/एस.एस.के.एच/26/परिपत्र/319

दिनांक : 10.04.2026

परिपत्र

विषय: पार्किंग टोकन एवं RFID टैग के खोने/क्षतिग्रस्त होने पर लगाए जाने वाले शुल्क

सभी संबंधित उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि पार्किंग टोकन एवं RFID टैग के संबंध में निम्नलिखित शुल्क लागू होंगे:

1. पार्किंग टोकन का खोना:

पार्किंग टोकन खो जाने की स्थिति में रु. 200/- का शुल्क लिया जाएगा।

2. नया RFID टैग जारी करना:

नए RFID टैग के जारी करने हेतु रु. 50/- का शुल्क देय होगा।

3. RFID टैग का खोना या क्षतिग्रस्त होना:

RFID टैग के खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में रु. 500/- का जुर्माना लगाया जाएगा।

सभी उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पार्किंग टोकन एवं RFID टैग का सावधानीपूर्वक उपयोग करें, ताकि असुविधा एवं अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा फाइल संख्या A/448/2024/14656 के माध्यम से अनुमोदित किया जा चुका है तथा तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सभी संबंधितों द्वारा इसका कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है।

डॉ. बनारसी

अपर चिकित्सा अधीक्षक
अतिरिक्त अधीक्षक
Addl. Medical Superintendent
ले.हा.म.का. एच.एच.के. अस्पताल
LHMC & Smt. S.K. Hospital
नई दिल्ली-110017, New Delhi-110001

प्रतिलिपि:

- निदेशक/प्राचार्य, एलएचएमसी - कृपया जानकारी हेतु।
- सभी चिकित्सा अधीक्षक (एसएसकेएच एवं केएससीएच)
- सभी अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक (एसएसकेएच एवं केएससीएच)
- सभी विभागाध्यक्ष (जानकारी एवं व्यापक प्रसार हेतु)
- उप-निदेशक
- आहरण एवं वितरण अधिकारी (डी डी ओ)
- सभी अनुभागाध्यक्ष (उपनिदेशक के माध्यम से)
- आईटी/सिस्टम प्रशासक (RFID हेतु)
- वेबसाइट